

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक C/4752/

जबलपुर, दिनांक 09 अक्टूबर 2018

तीन-०-६/२३

(प्रतिलिपि - संचालक काय पर्याय एवं लेखा मध्यालय का ज्ञानवाहक  
ईडीए/आइएफएसआईएस/ESS Module/209 दिनांक 09.09.2018 लो छायाप्राप्ति)

प्रतिलिपि -

1. जिला न्यायाधीश-सतर्कता, उच्च न्यायालय स.प्र. जबलपुर/इंदौर/खालियर
2. ड्रिसीपल रजिस्ट्रार, समस्त, उच्च न्यायालय मध्य.जबलपुर/इंदौर/खालियर
3. रजिस्ट्रार, समस्त, उच्च न्यायालय क.प्र.जबलपुर/इंदौर/खालियर
4. संचालक/अतिरिक्त संचालक, स.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, उत्तरायण्डे मध्य. राज्य प्रशासनिक अधिकरण पिल्डंग, जबलपुर
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, उत्तरायण्डे मध्य.राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर/इंदौर/खालियर
6. बजट अधिकारी/हेत्ता अधिकारी/अनुभाग अधिकारी (लेखा) उच्च न्यायालय मध्य. जबलपुर, इंदौर, खालियर
7. रजिस्ट्रार-कम-पीपीएस, उच्च न्यायालय मध्य. जबलपुर
8. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्य.जबलपुर
9. उदाहिंत रजिस्ट्रार-प्रोटोकाल/प्रोटोकाल अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्य., जबलपुर
10. सहायक(यात्रा भत्ता), उच्च न्यायालय मध्य., जबलपुर
11. रजिस्ट्रार (आईटी) की ओर उच्च न्यायालय मध्य. की देवसाहूड पर अपलोड दर्शन हेतु
12. माननीय न्यायाधिपति महोदय के निजी सचिव/निजी सहायक/शीघ्रलेखक (समस्त), उच्च न्यायालय मध्य. जबलपुर/इंदौर/खालियर
13. निजी सचिव/निजी सहायक/शीघ्रलेखक (समस्त), उच्च न्यायालय मध्य. जबलपुर/इंदौर/खालियर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु अपेक्षित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

०१.१०.१०  
(सतीश चंद्र राय)  
रजिस्ट्रार (झारखण्ड)

संचालनालय कोष एवं लेखा,  
मध्यप्रदेश

-०-

क्रमांक / डीटीए / आईएफएमआईएस / ESS Module/209 भोपाल, दिनांक ..6.. .09.2018  
प्रति,

समस्त कोषालय अधिकारी,  
मध्यप्रदेश।

विषय :— टी०ए० मेडीकल एवं जी०पी०एफ० अग्रिम/पार्ट फायनल स्वीकृतियों लाईव करने के संबंध में।

विषयांतर्गत यह निर्णय लिया गया है कि टी०ए० तथा मेडीकल से संबंधित स्वीकृतियों तथा आहरण एवं भुगतान दिनांक 15 सितम्बर 2018 से पूर्णतः ऑनलाईन होगा। अतः दिनांक 14, सितम्बर 2018 के पश्चात् उक्त स्वीकृतियों से संबंधित कोई भी देयक ऑफलाईन पास नहीं किया जा सकेगा।

2-- अतः समस्त आहरण अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें कि उनके कार्यालय से संबंधित टी०ए० एवं मेडीकल स्वीकृतियों एवं भुगतान केवल ऑनलाईन किया जाये उन्हें यह भी अवगत कराया जाए कि ऐसे कर्मचारी जो किसी कारण से स्वयं टी०ए० / मेडीकल स्वीकृतियों हेतु आवेदन ऑनलाईन करने में असमर्थ हो और उनके भौतिक आवेदन प्राप्त किया जाना अत्यावश्यक है तो ऐसे प्रकरणों में भौतिक आवेदन लिये जाकर संबंधित कर्मचारी की ओर से (ऑन बिहाफ), आहरण अधिकारियों के वेरीफायर द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

(जे०के०शर्मा)  
अपर संचालक

क्रमांक / डीटीए / आईएफएमआईएस / ESS Module/210 भोपाल, दिनांक ५.६. .09.2018  
प्रतिलिपि :-

- 1) समस्त विभागाध्यक्ष की सूचनार्थ।
- 2) निज सचिव आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल।
- 3) समस्त संभागीय संयंक्त संचालक कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश।
- 3) श्री कपिल मित्तल प्रभारी टी०सी०एस०लिमिटेड भोपाल।

(जे०के०शर्मा)  
अपर संचालक